रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 8, 2019/चैत्र 18, 1941
No. 126] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 8, 2019/CHAITRA 18, 1941

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2019

सं.एल–1/44/2010–केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग V के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 है।

(2) ये विनियम 13.2.2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनः

(1) विनियम 7 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (म) में, तारीख ''31.12.2019'' के स्थान पर, तारीख ''12.2.2018'' रखा जाएगा।

(2) विनियम 7 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (य) में, तारीख ''31.12.2019'' के स्थान पर, तारीख ''12.2.2018'' रखा जाएगा।

(3) मूल विनियम के विनियम 7 के खण्ड (1) में, निम्नलिखित एक नया उपखण्ड (कक) जोड़ा जाएगाः–

''(कक) ऐसी उत्पादन परियोजनाओं की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 25 वर्षों की अवधि के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा संसाधनों पर आधारित उत्पादन को आईएसटीएस नेटवर्क के उपयोग के लिए कोई पारेषण प्रभार और हानियां संदेय नहीं होंगे। यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैंः

(i) इस प्रकार की उत्पादन क्षमता केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रदान की गई है।

(ii) ऐसी उत्पादन क्षमता की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 13.2.2018 से 31.3.2022 तक के बीच घोषित की गई है।

(iii) सभी इकाइयों, जिसमें वितरण कंपनियां भी हैं, के साथ अपनी नवीकरणीय बाध्यताओं के अनुपालन के लिए ऊर्जा क्रय करार (करारों) निष्पादित किए गए हों।''

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./11/19]

टिप्पण: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 162 द्वारा तारीख 16.6.2010 को अधिसूचित किए गए तथा निम्नलिखित रूप से संशोधित किए गए:

(क) प्रथम संशोधन विनियम, 2011 तारीख 25.11.2011 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4, संख्या 229 में प्रकाशित किए गए।

(ख) द्वितीय संशोधन विनियम, 2012 तारीख 29.3.2012 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 76 में प्रकाशित किए गए।

(ग) तृतीय संशोधन विनियम, 2015 तारीख 7.4.2015 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 118 में प्रकाशित किए गए।

(घ) तृतीय संशोधन विनियम, 2015 तारीख 8.7.2015 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 239 में प्रकाशित किए गए।

(ङ) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2015 तारीख 8.7.2015 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 239 में प्रकाशित किए गए।

(च) पांचवा संशोधन विनियम, 2017 तारीख 14.12.2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 12 में प्रकाशित किए गए।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2019

No. L-1/44/2010-CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 read with Part V of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission makes the following regulations to amend Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges & Losses) Regulations, 2010 hereinafter referred to as "the Principal Regulations" namely:

1. Short Title and Commencement:

(1) These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) (Sixth Amendment), Regulations, 2019.

(2) These Regulations shall come into effect from 13.2.2018.

2. Amendment to Regulation 7 of the Principal Regulations:

(1) In sub-clause (y) to Clause (1) of Regulation 7, the date "31.12.2019" shall be substituted with the date "12.2.2018".

(2) In sub-clause (z) to Clause (1) of Regulation 7, the date "31.12.2019" shall be substituted with the date "12.2.2018".

(3) A new sub-clause (aa) to Clause (1) of Regulation 7 of Principal Regulations shall be added as under:-

"(aa) No transmission charges and losses for the use of ISTS network shall be payable for the generation based on solar and wind power resources for a period of 25 years from the date of commercial operation of such generation projects if they fulfill the following conditions:

(i) Such generation capacity has been awarded through competitive bidding process in accordance with the guidelines issued by the Central Government;

(ii) Such generation capacity has been declared under commercial operation between 13.2.2018 till 31.3.2022;

(iii) Power Purchase Agreement(s) have been executed for sale of such generation capacity to all entities including Distribution Companies for compliance of their renewable purchase obligations."

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./11/19]

Note: The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-sate Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 were notified in Part III, Section 4, No. 162 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 16.6.2010 and amended vide-

(a) First Amendment Regulations, 2011 published in Part III, Section 4 No. 229 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 25.11.2011.

(b) Second Amendment Regulations, 2012 published in Part III, Section 4 No. 76 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 29.3.2012.

(c) Third Amendment Regulations, 2015 published in Part III, Section 4 No. 118 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 7.4.2015.

(d) Third Amendment Regulations, 2015 published in Part III, Section 4 No. 239 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 8.7.2015.

(e) Fourth Amendment Regulations, 2015 published in Part III, Section 4 No. 239 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 8.7.2015.

(f) Fifth Amendment Regulations, 2017 published in Part III, Section 4 No. 12 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 14.12.2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.04.08 22:45:41 +05'30'